न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—15 / 2021 वाद   दिनांकः 04.03.2021

उनवान

गणपत पिता मेवालाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया (सांवलिया जी) तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0

................वादी

।। बनाम ।।

1. बालूराम पिता खेमा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
2. पृथ्वीराज पिता खेमा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
3. परस पुत्री खेमा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
4. बगदीबाई पत्नि खेमा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
5. लक्ष्मीलाल पिता खेमा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
6. उदयलाल पिता हीरा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
7. उदा पिता टोडू नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
8. दौलतराम पिता दल्ला नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
9. नारायण पिता हीरा नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
10. मोहन पिता दल्ला नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
11. रमेश पिता कालू मेघवाल वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
12. बगदीबाई पत्नि कालू मेघवाल वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
13. बरदू पिता कालू मेघवाल वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
14. सोसर बाई पत्नि मन्नालाल खटी मेघवाल वयरक निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
15. ममता पुत्री हरलाल मेघवाल वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
16. लक्ष्मण पिता गंगाराम नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
17. रामी बाई पत्नि हरलाल नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
18. गुड्डी बाई पुत्री हरलाल नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
19. लोकेश पिता हरलाल नायक वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
20. सुरेशचन्द्र पिता हेमराज भाम्बी वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर
21. आराधना पत्नि विजय खटीक पुत्री षिवलाल खटीक वयस्क निवासी भदेसर
22. निकसा पुत्री विजय खटीक ना0बा जरिये माता आराधना पत्नि विजय खटीक नि0भदेसर
23. शाखा प्रबन्ध बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मण्डफिया
24. भूमिधारी तहसीलदार भदेसर राज0

.........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. टिन्नेसी एक्ट 1955

उपस्थित– श्री रईस मोहम्मद वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह वादी एवं प्रतिवादी गण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम कुरेठा पटवार हल्का बागुण्ड भू अ0 नि0 भादसोडा में स्थिति जिसका विवरण इस प्रकार हे :–

परिशिष्ठ	खाता संख्या	आराजी नम्बर	कुल किता	कुल रकबा
अ	83	1392, 1396, 1405, 327	4	1.49 हैक्टेयर
ब	84	1395, 1397, 1401, 1402, 1403	5	2.91 हैक्टेयर
स	85	1398	1	1.43 हैक्टेयर
द	86	1400	1	0.68 हैक्टेयर

2. यह कि उपरोक्त चारों खातें में दर्ज आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर परिशिष्ठ अ में वादी का 1/6 हिस्सा शेष प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से दर्ज है इसी तरह परिश्ष्ठि ब में वादी का 1/6 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से दर्ज है इसी प्रकार परिशिष्ठ स में वादी का 7/48 वां हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से दर्ज है इसी प्रकार परिशिष्ठ द में वादी का 7/48 वां हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है और इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है ।
3. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित चारों ही परिशिष्ठों में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर शामलाती में दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन रकबा कमी बेशी लगान अदायगी मेर पाली एवं फसल बुवाई से लेकर कआई तक विवाद होता रहता है इस कारण वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर खाता अलग अलग किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे ।
4. यह कि प्रतिवादीगण आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवाडा कराने में सहमत नहीं होने से वाद प्रस्तुत किया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. बिनाय मुख्समात दावा दिनांक 24.10.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से सहमति से बंटवाडा कराने का अनुरोध करने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने से पैदा होकर हर दिन जारी है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा भदेसर की खाता संख्या 83, , 84, 85, 86 संवत् 2076 कमशः प्रदर्श–1 , नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, प्रस्तुत की गई जिसमें वर्णित भूमि मुकदमा पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है जिसका माफिक हिस्सा विभाजन चाहा गया गया । प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है । तथा जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा अनुसार विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका विभाजन चाहा गया है । जमाबन्दी लोक दस्तावेज होकर संदेह से परे है ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें भी वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया गया । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हक तक वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाता है कि मोजा कुरेठा पटवार मण्डल बागुण्ड भदेसर तहसील भदेसर खाता सं0 83 की आराजी नम्बर 1392, 1396, 1405, 327 कुल किता–4 कुल रकबा 1. 49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 84 की आराजी नम्बर 1395, 1397, 1401, 1402, 1403 कुल किता–5 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 85 की आराजी नम्बर 1398 रकबा 1. 43 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 86 की आराजी नम्बर 1400 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वादी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिकी एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner